रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L. 33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 1992/अग्रहायण 12, 1914
No. 47] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 1992/AGRAHAYANA 12, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

न्यू बैंक ऑफ इंडिया

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1992

सं. 5014/92—बैंककारी कम्पनियों (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 19(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी सेवा विनियमन 1982 के निम्नलिखित विनियमों में पुनः संशोधन करता है :—

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(1) इन विनियमों को न्यू बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 1987 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3 विनियम 20 में संशोधन

सेवा का पर्यवसान

20(1) (क) विनियम-16 के उपविनियम-(3) के अधीन जहां बैंक को यह संतुष्टि हो जाए कि किसी अधिकारी का कार्यनिष्पादन असंतोषजनक या अपर्याप्त है या उसकी ईमानदारी पर वास्तविक रूप से संदेह हो, या बैंक को सेवा में उसकी विद्यमानता बैंक हितों के प्रतिकूल हो, एवं जहां अनुशासनिक प्रक्रिया के अनुसार उसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करना सम्भव न हो वहां बैंक तीन महीने का नोटिस देकर या उसके बदले में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार तीन माह की परिलब्धियां देकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

(ख) इस उप विनियम के अन्तर्गत सेवा समाप्ति के आदेश तब तक न जारी किए जाएं जब तक कि ऐसे अधिकारी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध बैंक को निवेदन करने के पर्याप्त अवसर प्रदान न किये जायें।

(ग) उपरोक्त उप विनियम (क) के अन्तर्गत किसी भी अधिकारी कर्मचारी की सेवायें समाप्त करने का निर्णय केवल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ही लिया जायेगा ।

(घ) अधिकारी कर्मचारी को उपरोक्त उप विनियमन (क) के अन्तर्गत पारित किसी व्यक्ति आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, यदि वह बैंक के निदेशक मंडल को 15 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत कर दे । यदि अपील स्वीकार कर ली जाये तो उप विनियम (क) के अन्तर्गत दिये गये आदेश रद्द समझे जायेंगे।

(ङ) जहां किसी अधिकारी कर्मचारी की सेवायें समाप्त कर दी गई हों एवं जिसे नोटिस के बदले तीन माह की परिलब्धियों का भुगतान कर दिया गया हो किन्तु अपील के पश्चात सेवायें समाप्ति के आदेश रद्द कर दिये जायें तो नोटिस के बदले में भुगतान की गई राशि का समायोजन उसे दिये जाने वाले वेतन से किया जायेगा यदि, उसकी सेवायें समाप्त न की जातीं और उसे वेतन दिया जाता तथा जो उसकी सेवायें समाप्ति के आदेश पारित न होने की स्थिति में समान नियम एवं शर्तों के आधार पर बैंक रोजगार में रहने की स्थिति में उससे प्राप्त होते।

(च) कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिसकी सेवायें उपरोक्त उप विनियम (क) के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई हैं उसे उपदान, भविष्य निधि सहित नियोक्ता का अंशदान एवं सेवा अवधि के दौरान नियमानुसार स्वीकृत समस्त अन्य देयताओं का भुगतान किया जायेगा।

(छ) उपरोक्त वर्णित तथ्यों के बावजूद विनियम 19(1) के अन्तर्गत बैंक को किसी भी अधिकारी की सेवा निवृत्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

20(2) कोई अधिकारी बैंक की सेवाओं को छोड़ने अथवा पर्यवसान करने अथवा परित्याग करने की अपनी अवधारणा के संबंध में कोई पूर्वलिखित सूचना दिये और बगैर न तो सेवा छोड़ेगा और न ही इसका पर्यवसान करेगा । इसके लिये नोटिस की अपेक्षित अवधि 3 माह होगी और यह नोटिस इन विनियमों में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया जायेगा।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी 3 माह की नोटिस अवधि में कटौती अथवा नोटिस देने की अपेक्षा का परिहार कर सकेगा।

20(3) (i) ऐसा अधिकारी, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां लम्बित चल रही हैं, सक्षम प्राधिकारी की पूर्वलिखित सहमति लिये बगैर बैंक की सेवा को छोड़ने/पर्यवसान करने अथवा स्वेच्छा नहीं दे सकेगा, तथा ऐसे अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से पूर्व अथवा इसके दौरान दिये गये किसी स्वेच्छा के नोटिस का तब तक कोई प्रभाव नहीं रहेगा जब तक कि इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार न कर लिया गया हो।

(ii) इस विनियम के प्रयोजनार्थ किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को तब तक लंबित माना जाएगा, यदि उसे निलंबनाधीन किया गया हो अथवा उसे इस आशय का कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया हो कि, क्यों न उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए एवं इसे तब तक लंबित माना जाएगा; जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिए जाते।

(3) कोई भी अधिकारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है की निर्धारित तिथि पर सेवाएं समाप्त हो जाएगी किंतु अनुशासनिक कार्यवाही उसी प्रकार जारी रहेगी जैसाकि सेवाएं जारी रहने के दौरान जारी रहती, जब तक कि कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती एवं इस संबंध में अंतिम आदेश जारी नहीं किए जाते। संबंधित अधिकारी निर्धारित की तिथि के पश्चात से कोई वेतन और/या भत्ता प्राप्त नहीं करेगा। वह कार्यवाही पूर्ण होने तक तथा अंतिम आदेश जारी किए जाने तक भ.नि.अ. में से अपने अंशदान के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने का भी पात्र नहीं होगा।

विनियम 20(1)(क) के अंतर्गत मार्गदर्शी निर्देश

किसी भी अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग केवल वहीं किया जाएगा जहां :—

(1) किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अधिकारी की हैसियत ऐसा निर्णय लेने पर जिससे बैंक को आर्थिक हानि हुई हो, यद्यपि उसके विरुद्ध कोई दुराचरण सिद्ध न हुआ हो।

(2) कोई भी अधिकारी कर्मचारी, यदि किसी भी कारण से 90 दिन से अधिक समय से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो और यह अपनी सभी छुट्टियां को समाप्त कर चुका हो एवं असाधारण में वृद्धि के उसके अनुरोध को लिखित रूप में अस्वीकार कर दिया गया हो।

(3) कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिसे किसी विशिष्ट कुशलता या निपुणता या योग्यता के कारण रोजगार प्रदान किया गया हो एवं किसी भी कारण से उसकी ऐसी निपुणता या कुशलता या योग्यता समाप्त हो जाए।

(4) अधिकारी कर्मचारी को लगातार तीन वर्षों से वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन में यथार्थता निर्धारण के अंतर्गत औसत से कम अंक प्राप्त हुए हों एवं प्रथम दो वर्षों का मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में उसे सूचित किए जाने के बावजूद भी उसमें कोई सुधार न हो रहा हो या कार्यनिष्पादन में अपर्याप्त सुधार पाया गया हो।

(5) स्थिति ऐसी हो कि उपद्रव, विद्रोह या सामान्य अनुशासनहीनता अवज्ञा के कारण अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध आंतरिक कार्यवाही करना संभव नहीं है।

(6) दुराचरण को सिद्ध करने वाले विश्वसनीय प्रमाण नष्ट हो जाएं या प्रत्यक्ष गवाह उपलब्ध न हो सकते हों तथा इस पर प्रबंधक वर्ग का कोई नियंत्रण न हो।

(7) ऐसा कोई अन्य कारण है जिससे बैंक को यह विश्वास हो जाए कि अधिकारी कर्मचारी को सेवा में रोके रखने से बैंक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अजीत सिंह, सहायक महाप्रबन्धक (कार्मिक)

NEW BANK OF INDIA

(Personnel Department)

NOTIFICATION

New Delhi, 3nd December, 1992

No. 5014|92.—In exercise of the powers conferred by Section 19(1) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1980. the Board of Directors of New Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Govt. hereby makes the following Regulations further to amend New Bank of India Officers' service Regulations, 1982.

2. *Short Title and Commencement* :—(i) These Regulations may be called New Bank of India Officers' Service (Amendment) Regulations, 1987.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment to Regulation 20 :—

Termination of Service —

20(1) (a) Subject to sub regulation 3 of Regulation 16, where the bank is satisfied that the performance of an officer is unsatisfactory or inadequate or there is a bonafide suspicion about his integrity or his retention in the Bank's service would be prejudical to the interest of the bank, and where it is not possible or expedient to proceed against him as per the disciplinary procedure, the bank may terminate his services on giving him three months' notice or emoluments in lieu thereof in accordance with the guidelines issued by the Govt. from time to time.

(b) Order of termination under this sub regulation shall not be made unless such officer has been given a reasonable opportunity of making a representation to the bank against the proposed order.

(c) The decision to terminate the services of an officer employee under sub-regulation (a) above will be taken only by the Chairman & Managing Director.

(d) The officer employee shall be entitled to appeal against any order passed under sub-regulation (a) above by preferring an appeal within 15 days to the Board of Directors of the bank. If the appeal is allowed. the order under sup-regulation (a) shall stand cancelled.

(e) Where an officer employee whose services have been terminated and who has been paid an amount of three months' emoluments in lieu of notice and on appeal his termination is cancelled, the amount paid to him in lieu of notice shall be adjusted against the salary that he would have earned, had his services not been terminated and he shall continue in the bank's employment on the same terms and conditions as if the order of termination had not been passed at all.

(f) An officer employee whose services are terminated under sub-regulation (a) above shall be paid Gratuity, Provident Fund including employer's contribution and all other dues that may be admissible to him as per rules notwithstanding the years of service rendered.

(g) Nothing contained hereinabove will effect the bank's right to retire an officer employee under Regulation 19(1).

20(2) An officer shall not leave or discontinue his service in the bank without first giving a notice in writing of his intention to leave or discontinue his service or resign. The period of notice required shall be three months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these Regulations.

Provided further that the Competent Authority may reduce the period of 3 months, or remit the requirement of notice.

20(3) (i) An officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave| discontinue or resign from his service in the bank without the prior approval in writing of Competent Authority and any notice or resignation given by such an officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.

(ii) Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against any employee for the purpose of this regulation if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him, and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Competent Authority.

(iii) The Officer against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer will not receive any pay and|or allowance after the date of superannuation. He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his own contribution to CPF.

Guidelines under Regulation 20(1)(a)

"The option to terminate the services of an officer shall be exercised only where :

(i) Decision taken by the officer employee in his capacity as an officer employee has put the bank to monetary loss though no misconduct as such can be proved against him;

(ii) The officer employee for any reasons, has not been attending to his duties in the bank continuously for a period of 90 days after exhausting all leave due to him or after his request for extension of leave has been refused in writing.

(iii) The Officer employee employed on the basis of a particular expertise or skill or qualification, ceases to possess such an expertise or skill or qualification, for any reasons whatsoever;

(iv) The Officer employee, for three consecutive years in annual appraisal of his performance, has received ratings of less than average and despite the appraisal reports of the first two years having been communicated to him there has been no improvement or insufficient improvement in his performance.

(v) Situation is such that due to violence, insurgency or general indiscipline, insubordination, holding an enquiry against the officer employee is not possible.

(vi) The evidence to be relied upon to prove the misconduct gets destroyed or the principal witness(es) becomes unavailable for reasons beyond Management's control.

(vii) There is such other cause as would reasonably lead the bank to believe that the retention of the officer employee would prejudice the bank's interests."

KHUSHAL SINGH, Asstt. General Manager (P)